



निगरानी 237-PBR-15 पेशी दिनांक 6.1.2015

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.

लोधा लववंशी समाज सामूहिक धर्मशाला

कम्य इन्डोर

ग्राम जेतपुरा द्वारा :-

1-अध्यक्ष श्री राधाकिशन पिता गोबाजी रेवाटिया

2-उपाध्यक्ष नरसिंह पटेल पिता भागीरथजी पटल संवराया

3-नाथुलाल पिता अंबारामजी पडियार

सभी का धंधा खेती, निवासीयान- ग्राम जेतपुरा तह.व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

कंवरलाल पिता भुवानजी लोधा, आयु 43 साल

निवासी- ग्राम जेतपुरा तह.व जिला धार

.....रेस्पोंडेन्ट्स

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 अनुसार

“यह निगरानी ग्राम सभा ग्राम जेतपुरा द्वारा पारित संकल्प क्रमांक

5/पंचायत/2012 दिनांक 02.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम निगरानी न्यायालय

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय धार जिला धार के समक्ष पंचायत प्रकरण क्र.

10/13-14-अ 89(अ-15) लोधा लववंशी सामूहिक धर्मशाला ग्राम जेतपुरा बनाम

कंवरलाल पिता भुवानजी लोधा ग्राम जेतपुरा व अन्य के मामले में पारित आदेश

दिनांक 13/08/2014 से असंतुष्ट होकर द्वितीय निगरानी प्रकरण क्रमांक

3/2014-15/निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर

के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें आदेश दिनांक 21/10/2014 द्वारा प्रारंभिक सुनवाई

में ही निरस्त कर दी उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज प्रस्तुत है ”।

R.M.

वर्ष 2012 का 2015
निगरानी अर्ज 20.1.15

21.1.15

121

लौधा व लववशी / कर्णाला
R-237-PBR/15-धा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20.9.2017</p>	<p>उभय पक्ष स्वयं उपास्थित। ग्राह्यता पालिका गया। यह मिगलानी अणुसुल्ल डाल पालिका आदेश इनोके 21.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपा आयुक्त डाल म० प्र० पंचायत (अपील एवं सुनलीक्षण) नियम 1995 के नियम 5 के अन्तर्गत आदेश पालिका दिया गया है। उक्त आदेशियम के अन्तर्गत पालिका आदेश के विरुद्ध सुनवाई का श्रेयार्थिका उस आयापय को नहीं होने से मिगलानी अणुसुल्ल की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यास.</p>	<p>अध्यास</p> <p>21.09.2017</p> <p>अध्यास</p> <p>अध्यास</p>

अध्यास